



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/84/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 10.11.2017

श्री राकेश कुमार पिता शंकर लाल खटीक निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 04.12.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.10.2017 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 84/2017/(28.11)/846 दिनांक 13.11.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.11.2017 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 28.11.2017 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1648 दिनांक 28.11.2017 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-



1. यह है कि प्रार्थी श्री राकेश कुमार पिता शंकरलाल खटीक, निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2017 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1648 दिनांक 06.10.2017 को प्रार्थी प्रार्थना पत्र अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/सूअ/2017-18/1753 दिनांक 02.11.2017 से प्रार्थना पत्र, प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक, आर. एस. आर. डी. सी., उदयपुर को भिजवाया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
4. यह है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध सार्वजनिक निर्माण विभाग, से होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 सहधारा 3 के तहत नियत समय में सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरण कर दी गई है। जिसकी प्रति प्रार्थी को पृष्ठांकित की गई है। प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दीये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1648 दिनांक 28.11.2017 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी



प्रकरण संख्या 84/2017 (सू.अ.) श्री राकेश कुमार खटीक निवासी नारेला बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

(राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1648 दिनांक 06.10.2017 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी गई।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से चाही गई सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को धारा 6 (3) के तहत स्थानान्तरित करते हुए, उसकी सूचना अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गयी थी। जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क करें।

(इन्द्रजीत सिंह)

आई.ए.एस.

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./84/2017(सू.अ.)/

दिनांक:- / /2017

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री राकेश कुमार पिता शंकरलाल खटीक निवासी नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)